उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 3889–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2018/09/18 दिनांकः 25 अक्टूबर, 2018

समस्त मुख्य अभियन्ता,
पारेषण/जानपद,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषय :– वर्ष 2016–17 हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ने लेखा वर्ष 2016–17 के लिए अपने पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान की हैः–

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेबल–8 (रू0 47600–151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में, जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 5400 से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें उपरोक्त उच्च वेतन मैट्रिक्स, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होनें 31 मार्च 2017 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31.03.2017 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31.03.2017 को वास्तविक औसत परिलब्धियां रू0 7000/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000 की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31.03.2017 को 30 दिन की परिलब्धियां (7000×30/30.4=6907.89) अर्थात रू0 6908/–तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2016–17 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी परिस्थिति में पुनर्विचार नही किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसा या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

क्रमशः 2/–

8. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होनें दिनांक 31.03.2017 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होनें 31.03.2017 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नही की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभागी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200×30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी बास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नही है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31.03.2018 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

10. वर्ष 2016–17 हेतु पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय–व्ययक 2018–19 के नामे डाला जायेगा।

11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर ऑफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नही होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2016–17 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा। कृपया उक्त निर्णय अनुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

<u>प्रबन्ध निदेशक</u>

<u>संख्याः 3889–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2018 तद्दिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/(निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. वेबसाइट/कट फाइल।

आज्ञा से,

(मुकुल सोनकर)
संयुक्त सचिव (पारेषण)